छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 30, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त -

1. वित्त लेखे खण्ड (1) तथा खण्ड (2) वर्ष 2010-2011 (छत्तीसगढ़ शासन) तथा
2. विनियोग लेखे वर्ष 2010-2011 (छत्तीसगढ़ शासन) पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1373/एल-8-9/2011/वित्त/बजट-4 दिनांक 13 सितम्बर, 2011 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (एफ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के वार्षिक प्रतिवेदन 2008-2009 एवं 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, प्रदेश में पंजीकृत अस्पतालों द्वारा स्मार्ट कार्डधारियों का ईलाज न किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, बारदाना खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) चतुर्थ एवं समिति के पंचम प्रतिवेदन (द्वितीय विधान सभा) पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पंचम प्रतिवेदन (कार्यान्वियन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

क्रमश: 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चैतराम साहू, सदस्य, भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम बनसांकरा में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम चौरंगा (सिमगा) में हाईस्कूल खोलने,

(iii) ग्राम मोपका में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवन निर्माण करने,

(2) श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य, जिला रायपुर अंतर्गत -

(i) फिंगेश्वर में आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र खोलने,

(ii) फिंगेश्वर में महाविद्यालय खोलने,

(iii) ग्राम बोरसी के पास सरगी नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(iv) विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम कोसमखुंटा से खपरी तक मार्ग निर्माण करने,

(v) विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम कोसमखुंटा में नलजल योजना के तहत् ओवरहेड टंकी एवं पाईप लाईन निर्माण करने,

(vi) विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम कोसमखुंटा से रजकटटी तक मार्ग निर्माण करने,

(vii) विकासखण्ड छुरा अंतर्गत ग्राम मड़ेली से खड़मा तक मार्ग निर्माण करने,

(viii) विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम रोबा से भसेरा तक मार्ग निर्माण करने,

(ix) विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम कोपरा से तर्रा तक मार्ग निर्माण करने,

(x) विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम खपरी अरंड धमनी तक मार्ग निर्माण करने,

(xi) विकासखण्ड गरियाबंद अंतर्गत ग्राम देवसरा टेवारी खूरसा तक मार्ग निर्माण करने,

(xii) विकासखण्ड गरियाबंद अंतर्गत ग्राम घुटकु नवापारा से भेजराडीह तक मार्ग निर्माण करने,

(xiii) विकासखण्ड गरियाबंद अंतर्गत ग्राम घुटकु नवापारा से कासरबाय (हरदी) तक मार्ग निर्माण करने,

(ivx) विकासखण्ड फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम बरभाठा से बासीन तक मार्ग निर्माण करने,

(xv) विकासखण्ड छुरा अंतर्गत ग्राम कसेरू से कोसमी तक मार्ग निर्माण करने,

(xvi) विकासखण्ड छुरा अंतर्गत ग्राम छूरा रोड बरबाहरा नवापारा से आमझर तक मार्ग निर्माण करने,

(3) श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य, बिन्द्रानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) विकासखण्ड मुख्यालय मैनपुर में महाविद्यालय खोलने,

(ii) विकासखण्ड देवभोग में आई.टी.आई. खोलने तथा

(iii) पैरी नदी के उद्गम स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 27 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

क्रमश: 3

निर्धारित समय

7. संकल्प

1 घंटा श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण धान का समर्थन मूल्य रूपये 1980/- प्रति क्विंटल (मोटा धान) एवं रूपये 2000/- प्रति क्विंटल (पतला ग्रेड-ए) किया जाये।''

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

15 मिनट (1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक,2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा 30 मिनट (2) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (3) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

45 मिनट (4) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक,2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

9. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट प्रदेश में सीमेंट सहित भवन निर्माण सामग्रियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री देवजी पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर

दिनांक 20 दिसम्बर,2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.